mkbaaccjab@mp.gov.in
4003296

कार्यालय प्राचार्य

Phone : 2401300 (O)

शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक 968/2021 जबलपुर, दिनांक 7/12/2021

विज्ञप्ति

विषयः– कैन्टीन हेतु निविदा का आमंत्रण।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय मानकुँवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर में कैन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना है।

अतः निम्न नियमों एवं शर्तो के अधीन निविदा करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. संचालक के पास फूड एण्ड ड्रग का लाइसेंस होना चाहिए।
2. नगर पालिका से गुमास्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
3. कैन्टीन में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. कोविड–19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. कैन्टीन में स्वयं के द्वारा पकाए गए ताजे भोजन/खाद्य सामग्री का विक्रय किया जावेगा।
6. कैन्टीन में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संचालक की होगी।
7. कैन्टीन में महाविद्यालय के नियमित छात्राओं को ही प्रवेश का अधिकार होगा। निरीक्षण के दौरान यदि बाहरी छात्रा/व्यक्ति प्रवेशरत् पाया जाता है तो आपका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
8. न्यूनतम रू. 7000/– (सात हजार रूपये मात्र) मासिक किराया से निविदा शुरू की जावेगी तथा अधिकतम किराया आधार पर प्रस्ताव स्वीकृत की जावेगी।
9. विद्युत शुल्क प्रतिमाह मीटर रीडिंग के अनुसार देय होगा। पंखे, कूलर, लाईट, फ्रिज के अतिरिक्त अन्य विद्युत उपकरण के उपयोग हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा निधि रूपये 30000/– (तीस हजार रूपये मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि अनुबंध समाप्त होने पर मूलधन के रूप में ही वापिस कर दी जावेगी।
10. स्थानीय निवासी होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
11. धूम्रपान एवं किसी भी मादक सामग्रियों का उपयोग/विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।
12. कैन्टीन परिसर के चारो और साफ–सफाई एवं स्वच्छ वातावरण निर्मित करने के लिए संचालक स्वंय उत्तरदायी होगें।
13. यह अनुबंध कैन्टीन के आधिपत्य प्राप्ति दिनांक से दो वर्षो तक वैद्य होगा।
14. कैन्टीन में सामग्री विक्रय दर सूची लगाना अनिवार्य होगा।
15. अनुबंधकर्ता को 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर शर्तों एवं नियमों के पालन के संबंध में करार पत्र निष्पादित करना होगा।
16. जी.एस.टी. का पंजीयन अनिवार्य होगा।
17. निविदा सील बंद लिफाफे में "कैन्टीन संचालन हेतु निविदा" एवं प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक/बैंकर चैक के रूप में प्राचार्य जनभागीदारी समिति के पक्ष में देय होगा। जिसे संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। बैंक का नाम, दिनांक सहित अवश्य अंकित करें।

18. विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में व्यक्तिगत अथवा पंजीकृत डाक से जमा करें।
19. यदि निविदाकार कैंटीन चलाने में असमर्थ रहता है या कैंटीन छोड़कर चला जाता है तो उसे ब्लेकलिस्टेड किया जा सकता है।
20. कैन्टीन संचालक द्वारा अपना संचालन कार्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता तत्संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
21. कैंटीन संचालन हेतु केवल महिला वर्ग से ही आवेदन स्वीकार्य होगें।
22. महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्रा को वरीयता दी जावेगी।
23. अनुबंध की शर्तों को स्वीकार्य करने की घोषणा का प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में पचास रूपये के स्टाम्प पेपर के साथ आवेदन सहित प्रस्तुत करना होगा।
24. उपरोक्त किसी भी नियम शर्तो के अभाव में निविदा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति के पास सुरक्षित होगा।

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की उपरोक्त शर्ते अनुशंसित की जाती है।

प्राचार्य

Principal